



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-17072021-228344
CG-DL-W-17072021-228344

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 24]	नई दिल्ली, जुलाई 4—जुलाई 10, 2021 शनिवार/ आषाढ़ 13—आषाढ़ 19, 1943
No. 24]	NEW DELHI, JULY 4—JULY 10, 2021, SATURDAY/ASHADHA 13—ASHADHA 19, 1943

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

वित्त मंत्रालय
(वित्तीय सेवाएं विभाग)

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 2021

का.आ. 417.—जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, भारतीय जीवन बीमा निगम के कार्यपालक निदेशक और अंचल प्रबंधक (चयन श्रेणी) श्री बी. सी. पटनायक (जन्म तिथि 19.3.1963) को 1.10.2021 को या इसके बाद कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से और उनकी अधिवर्षिता की आयु (अर्थात् 31.3.2023) तक या आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, भारतीय जीवन बीमा निगम में प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. ए-15011/02/2021-बीमा-I]

विनोद कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

New Delhi, the 5th July, 2021

S.O. 417.—In exercise of the powers conferred by section 4 of the Life Insurance Corporation of India Act, 1956 (31 of 1956), the Central Government hereby appoints Sh. B. C. Patnaik (date of birth: 19.3.1963), Executive Director and Zonal Manager (Selection Grade), Life Insurance Corporation of India (LIC) as Managing Director, LIC, *w.e.f* the date of assumption of charge of office on or after 1.10.2021 and up to the date of his attaining the age of superannuation (*i.e.*, 31.3.2023), or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. A-15011/02/2021-Ins.I]

VINOD KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 2021

का.आ. 418.—जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, भारतीय जीवन बीमा निगम की कार्यपालक निदेशक और अंचल प्रबंधक (चयन श्रेणी) सुश्री आईप मिनी (जन्म तिथि 19.8.1963) को 1.8.2021 को या इसके बाद कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से और उनकी अधिवर्षिता की आयु (अर्थात् 31.8.2023) तक या आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, भारतीय जीवन बीमा निगम में प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. ए-15011/02/2021-बीमा-I]

विनोद कुमार, अवर सचिव

New Delhi, the 5th July, 2021

S.O. 418.—In exercise of the powers conferred by section 4 of the Life Insurance Corporation of India Act, 1956 (31 of 1956), the Central Government hereby appoints Ms. Ipe Mini (date of birth: 19.8.1963), Executive Director and Zonal Manager (Selection Grade), Life Insurance Corporation of India (LIC) as Managing Director, LIC, *w.e.f* the date of assumption of charge of office on or after 1.8.2021 and up to the date of her attaining the age of superannuation (*i.e.*, 31.8.2023), or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. A-15011/02/2021-Ins.I]

VINOD KUMAR, Under Secy.

विदेश मंत्रालय

(सी.पी.वी. प्रभाग)

नई दिल्ली, 20 जून 2021

का.आ. 419.—राजनयिक और कौंसुलीय अधिकारी (शपथ एवं फीस) के अधिनियम, 1948 की धारा 2 के खंड (क) के अनुसरण में वैधानिक आदेश।

एतद्वारा, केंद्र सरकार भारत के महावाणिज्य दूतावास बैंकूबर में श्री अलन वरगीस मेल्यु, सहायक अनुभाग अधिकारी को दिनांक 20 जून 2021 से सहायक कौंसुलर अधिकारी के तौर पर कौंसुलर सेवाओं के निर्वहन के लिए प्राधिकृत करती है।

[फा. सं. टी-4330/01/2015]

विष्णु कुमार शर्मा, निदेशक (सी.पी.वी.)